संख्या-4/2022/110/ चौरासी-1-2022-1002(001)/18/2019.

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में "01-वेतन" मद की बचतों को अन्य आवश्यक मदों में पुनर्विनियोग द्वारा आवंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-58/निविमावि-लेखा-7(25)मांग/2021-22,दिनांक 24फरवरी, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की 01-वेतन मद में हो रही बचतों से सामान्य लेखाशीर्षक के 26 मशीन और सज्जान/ उपकरण और संयत्र मद में भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0-9 के विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदया रू0 31.86 (रूपया इकत्तीस लाख छियासी हजार) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-517/दस-2022, दिनांक 15 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)
उप सचिव।

संख्या:-4/2022/110(1)/ चौरासी-1-2022-1002(001)/18/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1।**

8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक- 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान(उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग) वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र-बी0एम0-9 **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान-01-वेतन	3740.44	837.63	31.86	31.86	3708.58
योग	3740.44	837.63	31.86	31.86	3708.58

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (8+11)
3475-00-106-00-03-26	30.00	61.86	31.86	31.86	61.86
योग	30.00	61.86	31.86	31.86	61.86

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार है:- पदों के रिक्त होने का कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय भारत सरकार मिण्ट के लंबित बिलों के भुगतान हेतु धनराशि की मांग है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-517/ई7/दस-2022	**दिनांक-15.03.2022**
(अरविन्द सिंह) **अनु सचिव** **उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग**	**सेवा में,** **महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम** **उत्तर प्रदेश इलाहाबाद** **हस्ताक्षर** **(राजेन्द्र राम)** **उप सचिव** **वित्त विभाग**

संख्या:4/2022/110(1)/चौरासी-1-2022-84-1002(001)/18/19,तद्दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष(नियंत्रक अधिकारी)

2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ।

3- निदेशकं,वित्तीय संख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन लखनऊ।

4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1,(तीन प्रतियों में)

5- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6-निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,लखनऊ।

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।